न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामनगर, जिला नैनीताल
फौजदारी वाद संख्या : 713/2022
गीतांजलि नेगी बनाम अमित कुमार

अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम।
थाना–रामनगर, जिला नैनीताल।

दिनांक–08.09.2023

वाद पुकारा। पत्रावली पेश। परिवादिनी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार उपस्थित। अभियुक्त की हाजरी माफी द्वारा विद्वान अधिवक्ता श्री अंकित वर्मा पेश। जो केवल आज हेतु स्वीकार। प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है।

2. प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी स्वामिनी मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी से अभियुक्त अमित कुमार ने मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी मय उपकरण, मय स्थित उत्पाद एवं स्थल कब्जा एवं जे0सी0बी0 मशीन सहित 1,40,00,000/–रूपये में क्रय करना तय कर कब्जा प्राप्त कर 55,000/–रूपये नगद दिनांक 30.07.2021, 20,000,00/–रूपये नगद तथा बाद में 2,45,000/–रूपये जरियें आर0टी0जी0एस0 प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को अदा कर शेष धनराशि 1,17,00,000/–रूपये के चैक अलग–अलग तिथियों के जिसमें दो चैक अभियुक्त अमित कुमार ने अपने भाई अतुल कुमार के 2,50,000/–, 2,50,000/–रूपये के देकर हस्तलिखित तहरीर दिनांक 30.07.2021 व स्टाम्प तहरीर 31.07.2021 हस्ताक्षर प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी व अभियुक्त अमित कुमार ने अपने व गवाहों के हस्ताक्षर कराकर व स्टाम्प अनुबंध दिनांकी 31.07.2021 नोटरी दिल्ली में कराकर मूलतः हस्तलिखित तहरीर दिनांकी 30.07.2021 एवं मूल स्टाम्प पर तहरीर अनुबंध दिनांकी 31.07.2021 अभियुक्त अमित कुमार स्टोन क्रेशर कम्पनी ने अपने पास रखे व एक–एक छायाप्रति प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को दी थी। प्रार्थिनी द्वारा यह भी कथन किया गया कि क्रय–विक्रय की व्यवहारिक प्रक्रिया/सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अन्तर्गत क्रेता अभियुक्त अमित कुमार ने मूल अभिलेख हस्तलिखित तहरीर दिनांकी 30.07.2021 वास्ते क्रय करने मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी तथा स्टाम्प पर तहरीरी अनुबंध दिनांक 31.07.2021 अभियुक्त अमित कुमार ने अपने पास रखे जो कि अभियुक्त अमित कुमार के पास है। अभियुक्त अमित कुमार की नियत में बदी व बेईमानी आ गयी चूंकि प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी को शेष धनराशि चैकों से प्राप्त हो जाने के विश्वास पर सौदा तय/अनुबंध अनुसार मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी का कब्जा अभियुक्त अमित कुमार को दिया था। किन्तु अभियुक्त अमित कुमार ने बदी व बेईमानी व धोखा कर बावजूद तकादों के कुल कीमत के अंश धनराशि अदायगी का चैक संख्या 000921 दिनांकी 01.06.2022 की धनराशि 10,00,000 अदा न करने पर अभियुक्त अमित कुमार द्वारा जारी यह चैक दिनांक 22.07.2022 को बैंक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा रामनगर जिला नैनीताल द्वारा अनादृत किये जाने के

प्रार्थिनी/परिवादिनी गीतांजलि नेगी ने दिनांक 20.08.2022 को चैक संख्या 000921 दिनांकित 01.06.2022 शाखा यूनियन बैंक चरखी दादरी, रोहतक रोड़, चरखी दादरी धनराशि 10,00,000/–रूपये नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में अदा करने हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया। अभियुक्त अमित कुमार की नियत में बदी व बेईमानी है। अभियुक्त के पास मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी के क्रय का सौदा तहरीरी दिनांकित 30.07.2021 एवं स्टाम्प पर तहरीरी अनुबंध दिनांक 31.07.2021 जो कि मूलतः अभियुक्त अमित कुमार के पास है। अतः प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा न्याय निर्णय हेतु अभियुक्त अमित कुमार से मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी के क्रय का सौदा तहरीरी दिनांकित 30.07.2021 एवं स्टाम्प पर तहरीरी अनुबंध दिनांक 31.07.2021 जो कि मूलतः को तलब कर पत्रावली में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने की याचना की गयी।

3. अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी/परिवादिनी के उक्त प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि दरखास्त मौजूदा हालातों में नाकाबिले रवानी है व काबिले खारिज है। दरखास्त शिकायतकर्त्ता अधिनियम में प्रावधानों से बाहर है इसलिए भी काबिले खारिज है। शिकायतकर्त्ता को मौजूदा दरखास्त इस स्टेज पर दायर करने का कोई हक व अधिकार हासिल ना होता है। अलबत्ता अभियुक्त से मूल कागजात पत्रावली में प्रस्तुत कराने हेतु परिवादी को कोई अधिकार हासिल नहीं होता है। अलबत्ता प्रार्थी मूल कागजात अपनी शहादत में पेश करने का अधिकार हासिल रखता है। यदि प्रार्थी से मूल दस्तावेज इस स्टेज पर प्रस्तुत करवाये जाते है तो मन प्रार्थी का डिफेंस प्रभावित होने का पूरा–पूरा अंदेशा है। अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया कि शिकायतकर्त्ता द्वारा मौजूदा दरखास्त के माध्यम से गैर कानूनी तरीके से एविडेंस क्रियेट करने का कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होता है। लिहाजा जवाब दरखास्त पेश करके प्रार्थना है कि दरखास्त शिकायतकर्त्ता जो कि गलत, निराधार, काल्पनिक, सोची समझी, खिलाफ कानून, खिलाफ वाक्यात है को मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाए जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

4. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5. पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा–251 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता न्यायालय द्वारा अंकित किये जा चुके है। पत्रावली परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

6. प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अभियुक्त से मैसर्स लक्ष्मी स्टोन क्रेशर कम्पनी के क्रय का सौदा तहरीरी दिनांकित 30.07.2021 एवं स्टाम्प पर तहरीरी अनुबंध दिनांक 31.07.2021 को पत्रावली पर तलब करने की याचना की गयी है।

7. इसमें कोई संदेह नहीं है कि, प्रार्थिनी/परिवादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में किसी विशेष प्रावधान का उल्लेख नहीं किया गया है। जिसके अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कानून का यह स्थापित प्रस्ताव है कि कानून में किसी विशिष्ट प्रावधान का हवाला ना देने पर यह कानून के गलत प्रावधान उद्दृत करने पर भी ऐसे प्रार्थना पत्र को सीधे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। बल्कि ऐसे प्रार्थना पत्र को कानून के विशिष्ट

प्रावधान के तहत माना जाएगा, जो उस प्रार्थना पत्र में उल्लेखित की गयी सामग्री और प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए लागू होता है।

8. धारा–151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की तरह धारा–482 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता मजिस्ट्रेट, न्यायालय को अर्न्तनिहित शक्तियां प्रदान नहीं करती है। मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास किसी विशिष्ट वैधानिक प्रावधान के आवेदन के अभाव में किसी पक्ष को राहत देने वाला आदेश पारित करने की कोई अर्न्तनिहित शक्ति नहीं है। इसलिए अब यह जानना जरूरी है कि दण्ड़ प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर लागू होता है।

9. धारा–91 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय किसी भी व्यक्ति को दस्तावेज व अन्य चीज पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। अब न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या धारा–91 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत न्यायालय अभियुक्त को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन जारी कर सकता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय **State of Gujrat vs. Syamlal Mohanlal Choksi AIR, 1965 SC 1251** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्याय निर्णय के पैरा 41 में अवधारित किया है कि *"Section 91 Cr.P.C., 1963 is not applicable to the accused person."*

11. माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर ने न्याय निर्णय **Rajeshwar Sharma vs. State of Chattishgarh and Anr. Writ Petition (Cr.) No. 678 of 2020,** में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय Syamlal Mohanlal Choksi (Supra) निर्दिष्ट करते हुए यह अवधारित किया है कि *"Section 91 of CrPC is admittedly not applicable to the accused as held by the Supreme Court in Syamlal Mohanlal Choksi's Case and further followed by the Supreme Court in the matter of Central Bank of India vs. State of Kerala and Others."*

12. उपरोक्त न्याय निर्णय एवं तथ्यों के निष्कर्ष के उपरांत न्यायालय के मत में धारा–91 दण्ड़ प्रक्रिया संहिता अभियुक्त पर लागू नहीं होती है। अतः प्रार्थिनी/परिवादिनी का प्रार्थना पत्र पोषणीय ना होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/परिवादिनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अभियुक्त से मूल कागजात पत्रावली पर तलब करने बाबत खारिज किया जाता है।

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला–नैनीताल।